



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ19001

पंजीकृत पावती
कारण बताओ नोटिस
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura Industrial Area,
अजमेर – 305002 (राजस्थान)
Ajmer- 305002 (Rajasthan)

संख्या: E/4540/MCDR-MiFLOLST/17/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक :

प्रेषित: एजेंट, मोड़क चूनापत्थर खान,
मेसर्स मंगलम सीमेंट लिमिटेड,
पो. आ. आदित्य नगर, मोड़क,
जिला-कोटा (राज.) 326520

E-mail: mines@manglancement.com, bajrang.lal@manglancement.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Morak Limestone Mine (Lease area 895.42Hect.) situated in Kota District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 11.12.2024 by the undersigned in presence of Sh. Ramesh Choudhary, Mines Manager & Sh. Vivek Rawat, Geologist:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
45(7)	In annual return 2023-24 following discrepancies were observed: 1) Undet item 12 of Part-I, under head lease area utilization at the end of year 2023-24 (a) Mineral Stoarge area has not been shown. (b) Top soil storage area has not been shown. 2) In the uploaded PMCP report in the excel format, the total mined out area in the lease at the end of financial year is not matching with details given under item 12 of Part-I.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं अथवा आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास(संशोधन) नियमावली, 2021 की अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से से 30 (तीस) दिनों के भीतर कारण बताए कि उपरोक्त उल्लंघन के लिए पैरा 02 एवं पैरा 03 में वर्णित कार्यवाही क्यों न की जाए।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

भवदीय,

(डी.आर. गुर्जर)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, रामगंज मंडी, जिला-कोटा।
4. रक्षित पत्रावली।